फार्म 'अ'
(परिपत्र दो–1 की कण्डिका 6 देखिये)
राजस्व आदेश पत्र(रेव्हेन्यू ऑर्डर शीट)

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)कोरबा के न्यायालय में मामला क्रमांक सन् 202601050100100 2025–2026
विषय–..........अवैध रूप से वृक्ष कटाई ....प्रकरण की श्रेणी........................अ–62......................2025–2026
ग्राम –...........करूमौहा........बन्दोबस्त क्रमांक...........पटवारी हल्का क्रमांक .....07...........तहसील–............भैसमा.....
कलेक्टर का कमांक..............सन्................अनुविभागीय अधिकारी का क्रमांक ....सन्............2025–2026
तहसीलदार का क्रमांक......................सन्.....................नायब तहसीलदार का क्रमांक..................सन्..................

आदेश कमांक कार्यवाही की तारीख और स्थान	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र अथवा कार्यवाही छ0ग0शासन **बनाम** ईश्वर लाल वगै0	जहां आवश्यक हो, पक्षों अथवा वकीलों केहस्ताक्षर, आदेशों का पालन करने वा लिपिक के संक्षिप्तहस्ताक्षर और इसे पालन की तारीख
29/01/2026	– कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी कोरबा के पत्र कमांक/के0बी0/162 कोरबा, दिनांक 22/01/2026 के अनुसार कोरबा परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम–करूमौहा से वाहन क्रमांक सी0जी0–10 बी0व्ही0 9466 के द्वारा बिना अभिवहन पास के जलाउ लकड़ी परिवहन किये जाने की सूचना मिलने पर परिक्षेत्र सहायक कोरबा के द्वारा तत्काल उक्त वाहन को पकड़ कर अपने सुपुर्द में लिया जाकर रखा गया, जिसके उपरांत उक्त विषय में मौका जॉच किया गया, जिसमें पाया गया कि 1. श्री ईश्वर लाल पिता मनीराम, जाति– सतनामी, ग्राम– करूमौहा, 2. मनोज कुमार धिरहे पिता शत्रुहन धीरहे, ग्राम– करूमौहा के द्वारा अपने निजी भूमि ख0नं0– 45/1 एवं 52/2 में पूर्व में लगाये गये नीलगिरी एवं महानीम, आम प्रजाति के वृक्षों को आर्थिक आय हेतु कटाई कराकर परिवहन कराया जा रहा था। चूंकि भूमि स्वामी अपने आय के व्यवस्था हेतु ग्राम पंचायत चाकामार से अनुमति लिया गया है, जिसमें सरपंच ग्राम पंचायत के द्वारा खड़े वृक्ष का प्रमाणित किया गया है। ''छ0ग0राज्य परिवहन(वनोपज) नियम 2001 अनुसार आदेश क्रमांक 7–7–2021/10–2 दि0 27–10–04'' द्वारा उक्त प्रजाति के वृक्षों की कटाई भूमि स्वामी द्वारा आय प्राप्ति की प्रयोजन से किये जाने हेतु अभिवहन पास की आवश्यकता नहीं होगी का उल्लेख किया गया है, किन्तु उक्त वाहन को शिकायत के आधार पर खड़ी की गयी थी वाहन मालिक द्वारा भू–स्वामी से कय की गयी पेड़ों का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। प्रकरण राजस्व क्षेत्र से संबंधित होने के कारण नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्राप्त हुई है। –प्रकरण ऑन लाईन दर्ज हो। –प्रकरण में अनावेदक गण उपस्थित हुए। अनावेदक गण को शपथ पूर्वक कथन अंकित किया गया। अनावेदक ईश्वर लाल ने अपने शपथ पूर्वक कथन में बताया कि मेरे नाम पर शामिलात खाते की भूमि ग्राम–करूमौहा, तहसील– भैसमा में ख0नं0–45/1 एवं 127/1 की भूमि स्थित है, जिसमें 02 पेड़ आम(सूखा) के वृक्ष स्थित था, जिसे मेरे द्वारा सुनील गुप्ता, निवासी–बस स्टेण्ड कोरबा के पास	

10,000/– रूपये(दस हजार रूपये) में विक्रय किया है। विक्रय की राशि प्राप्त कर चुका हूं। उक्त पेड़ को काटने की अनुमति सक्षम अधिकारी से नहीं लिया गया है।

–अनावेदक बच्चू लाल के पुत्र शिवम मंझवार का शपथ पूर्वक कथन अंकित किया गया। उन्होंने अपने शपथ पूर्वक कथन में बताया कि उनके पिता बच्चू लाल के नाम पर ग्राम– चाकामार में ख0नं0– 5/2 की भूमि स्थित है। जिसमें 04 नग जीवित नीलगिरी के पेड़ स्थित है, जिसे सुनील गुप्ता, निवासी–बस स्टेण्ड कोरबा के पास 10,000/– रूपये(दस हजार रूपये) में विक्रय किया है। विक्रय की राशि मेरे पिता बच्चू लाल मंझवार के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। उक्त पेड़ों को काटने की अनुमति सक्षम अधिकारी से नहीं लिया गया है।

–छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 के अध्याय 18 की धारा 253 में उल्लेखित है कि (कोई भी व्यक्ति जो इस अध्याय के या इस अध्याय के अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में कार्य करेगा या जो किन्हीं नियमों या वाजिब –उल–अर्ज में दर्ज की गयी किसी रूढ़ि का उल्लंघन करेगा या उनका अनुपालन नहीं करेगा या निस्तार पत्रक में की गयी किसी प्रविष्टि को भंग करेगा''पच्चीस हजार रूपये'' से अनाधिक ऐसी शास्ति या दायी होगा तथा उपखण्ड अधिकारी किसी भी ऐसी इमारती लकड़ी, वन उपज या किसी अन्य उपज के अधिहरण की भी आदेश दे सकेगा, जिसका कि ऐसे व्यक्ति ने राज्य सरकार की भूमियों में से लेकर उपयोग कर लिया हो या जिसे उसने वहां से हटा लिया हो)। अनावेदक गण ईश्वर लाल पिता मनीराम सतनामी, निवासी–करूमौहा एवं बच्चू लाल पिता अनंदराम, निवासी– चाकामार, तहसील– भैसमा के द्वारा छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 253 में बनाये गये नियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।

–अतः संहिता के अध्याय 18 में उल्लेखित धारा 253 के तहत अनावेदक गण ईश्वर लाल पिता मनीराम सतनामी, निवासी–करूमौहा को 02 नग आम पेड़ के एवज में **2,000/–(दो हजार रूपये)** एवं बच्चू लाल पिता अनंद राम मंझवार, निवासी– चाकामार, तहसील– भैसमा को 04 नग नीलगिरी के एवज में **4,000/–(चार हजार रूपये)**की शास्ति अधिरोपित किया जाता है। जप्त शुदा लकड़ी को अनावेदक गण का वापस किये जाने एवं जप्त वाहन को किसी अन्य प्रकरण में जप्त न किया गया हो तथ अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे निर्मुक्त करने का आदेश पारित किया जाता है। अनावेदक गण आदेशानुसार अर्थदण्ड की राशि जमा करें। आदेश की प्रति वन परिक्षेत्राधिकारी कोरबा को प्रेषित किया जावे।

–तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
कोरबा, छ0ग0

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा जिला कोरबा,छ0ग0

क्रमांक /अ0वि0अ0/वा0–1/2026 कोरबा दिनांक 29/01/2026

प्रति,

वन परिक्षेत्राधिकारी

कोरबा

विषयः– जप्त शुदा लकड़ी को राजसात कर वाहन को निर्मुक्त करने बाबत्।

---000---

कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी कोरबा के पत्र क्रमांक/के0बी0/162 कोरबा, दिनांक 22/01/2026 के अनुसार कोरबा परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम–करूमौहा से वाहन क्रमांक सी0जी0–10 बी0व्ही0 9466 के द्वारा बिना अभिवहन पास के जलाउ लकड़ी परिवहन किये जाने की सूचना मिलने पर परिक्षेत्र सहायक कोरबा के द्वारा तत्काल उक्त वाहन को पकड़ कर अपने सुपुर्द में लिया जाकर रखा गया, जिसके उपरांत उक्त विषय में मौका जॉच किया गया, जिसमें पाया गया कि 1. श्री ईश्वर लाल पिता मनीराम, जाति– सतनामी, ग्राम– करूमौहा, 2. मनोज कुमार धिरहे पिता शत्रुहन धीरहे, ग्राम– करूमौहा के द्वारा अपने निजी भूमि ख0नं0– 45/1 एवं 52/2 में पूर्व में लगाये गये नीलगिरी एवं महानीम, आम प्रजाति के वृक्षों को आर्थिक आय हेतु कटाई कराकर परिवहन कराया जा रहा था। चूंकि भूमि स्वामी अपने आय के व्यवस्था हेतु ग्राम पंचायत चाकामार से अनुमति लिया गया है, जिसमें सरपंच ग्राम पंचायत के द्वारा खड़े वृक्ष का प्रमाणित किया गया है।

''छ0ग0राज्य परिवहन(वनोपज) नियम 2001 अनुसार आदेश क्रमांक 7–7–2021/10–2 दि0 27–10–04'' द्वारा उक्त प्रजाति के वृक्षों की कटाई भूमि स्वामी द्वारा आय प्राप्ति की प्रयोजन से किये जाने हेतु अभिवहन पास की आवश्यकता नहीं होगी का उल्लेख किया गया है, किन्तु उक्त वाहन को शिकायत के आधार पर खड़ी की गयी थी वाहन मालिक द्वारा भू–स्वामी से क्रय की गयी पेड़ों का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। प्रकरण राजस्व क्षेत्र से संबंधित होने के कारण नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्राप्त होने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर सुनवायी की गई।

अनावेदक गण श्री ईश्वर लाल पिता मनीराम, जाति– सतनामी, ग्राम– करूमौहा द्वारा 02 नग आम वृक्ष एवं बच्चू लाल पिता अनंद राम मंझवार, निवासी– चाकामार, तहसील– भैसमा, जिला–कोरबा के 04 नग नीलगिरी के वृक्ष को बिना अनुमति के काटने के कारण संहिता के अध्याय 18 में उल्लेखित धारा 253 के तहत ईश्वर.लाल को 2,000/–रूपये(दो हजार रूपये) एवं अनावेदक बच्चू लाल पिता अनंद राम मंझवार को 4,000/–रूपये(चार हजार रूपये) शास्ति अधिरोपित किया गया है। जप्त शुदा लकड़ी को अनावेदक गण को वापस एवं जप्त वाहन को किसी अन्य प्रकरण में जप्त न किया गया हो तथा अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे निर्मुक्त किया जावे।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा (छत्तीसगढ़) सत्यमेव जयते

08

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कोरबा, छ0ग0

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)